R-634-PBR/2011

स्मिता सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी- H.I.G. Jr- 70 विन्ध्य बिहार कालोनी रीवा, तहसील- हुजूर, जिला- रीवा (म0प्र0)

.............आवेदिका

बनाम्

1. जिला पंजीयक (कलेक्टर आफ स्टाम्प) जिला- रीवा (म0प्र0)
2. उप पंजीयक तहसील हुजूर, जिला- रीवा (म0प्र0)
3. मध्य प्रदेश शासन

............अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते वापस किए जाने अतिरिक्त प्रभारित स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क बावत् रजिस्ट्री क्र0- 5009 दिनांक 14.10.2010 अतिरिक्त राशि रू0 35,000/- (पैतीस हजार रूपये)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 45(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 सह पठित अनुसूची 1-क अनुच्छेद 22(g)

महोदय,

आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल रीवा द्वारा विन्ध्य बिहार कालोनी का निर्माण किया जाने का प्रोजेक्ट स्थानीय अखबारों में प्रकाशित किया गया था जिसमें स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत भवन प्रकार H.I.G. (Jr) श्रेणी के भवनों का विक्रय भी प्रस्तावित किया गया था। आवेदिका द्वारा भवन क्रय करने हेतु पंजीयन कराया गया। निर्माण पश्चात् भवन की पूर्ण कीमत मण्डल को चुकता कर भवन क्रमांक- M.I.G. (Jr)- 70 आवंटन में प्राप्त हुआ।
2. यहकि भवन के विक्रेता मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल रीवा के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आवेदिका/क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र निर्धारित प्रारूप में

(48)

एड. बड़ी बद्री सिंह   स्मिता सिंह / जिला पंजीयक, रीवा
R-634-P.B.R/11 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.5.16 (68)	1- आवेदिका के अभिभाषक श्री बद्री सिंह एड. उप.। 2. अनावेदक क्रमांक 1, 2 द्वारा प्रकरण के जवाब दिनांक 12.8.14 को प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकरण के साथ संलग्न है। 3- वास्ते अंतिम तर्क। पेशी तारीख 14-6-16 आज्ञा से	
14-6-16 11:00 बजे	आवेदक एवं उनके अभिभाषक को पुकार लगवाई गई। आवेदक अभिभाषक को पुनः 03:00 बजे पुकार लगाई जावे। सचिव	
03:00 बजे	आवेदक अभिभाषक को पुनः आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। पुनः 05:00 बजे आवाज लगाई जावे। सचिव	
05:00 बजे	आवेदक एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण समाप्त रिकार्ड हो। सचिव	

शासकीय मुद्रणालय—60—प्रतियाँ—3-5-11—10,000 प्रपत्र.